

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सेनि0/आक्षेप/2018/

दिनांक:-

उप निदेशक,

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,

(ई0 एस0 आई0 योजना),


जयपुर

विषय:- श्रीमती सोसम्मा जोसफ, महिला स्वास्थ्य दर्शिका सेवानिवृति आदेश जारी करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1763 दिनांक 29.10.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती सोसम्मा जोसफ, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय न. 01 पाली के दिनांक 31.12.2018 से सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिका के विरुद्ध विभागीय जाँच की तीन बिन्दुओं के सूचना भिजवाने श्रम करें:-


- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सेनि0/आक्षेप/2018/1613 दिनांक:- 19-11-2018

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय न. 01 पाली
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर